सभा सत्र दिसम्बर 2020 (तारांकित प्रश्न क्र 62 मा विधायक श्री तरुण भनोत
दि. 22/12/2020 से दि 30/12/2020 के प्रश्नोत्तर के उत्तर का परिशिष्ट अ पेज-1)

प्रश्न सं. [क्र. 62]

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक – 62 भाग ''ख'' का परिशिष्ट (अ)

प्रश्न कर्ता का नाम :–श्रीतरूण भनोत

बैठक दिनांक – 30.12.2020

जिला चिकित्सालय जबलपुर के उन्नयन हेतु विद्यमान अस्पताल परिसर में पृथक सें पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण अस्पताल परिसर मे ही पूर्व निर्मित भवनो को तोड़कर प्राप्त स्थल पर ही उन्नयन का निर्माण कार्य किया जाना संभव है, तदानुसार चरणबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम चरण:–275 से 500 बिस्तरीय उन्नयन हेतु ट्रामा सेंटर, आकस्मिक चिकित्सालय इकाई/नियोनेटल/मेटरनिटी विंग एवं माइक्रोबायलॉजी लेबोट्ररी का निर्माण जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपयें 449.35 लाख की जारी हुई थी जो पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें ओ.पी.डी. के अतिरिक्त डायलिसिस इकाई भी सम्मिलित है। यह भवन पूर्व मे संचालित क्षय अस्पताल को तोड़कर बनाया .गया है।

द्वितीय चरण:–जिला अस्पताल में 2 अत्याधुनिक मॉडुलर ओ.टी. एवं 2 नॉन माडुलर ओ.टी. के कार्य के लिए भी 200.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

तृतीय चरण:–कोविड महामारी पीड़ित गंभीर मरीजों के उपचार हेतु 20 बिस्तरीय आई.सी.यू. वार्ड भी अभी हाल ही मे निर्मित किया गया है। जिसकी स्वीकृत लागत राशि रू 155.78 लाख है।

चतुर्थ चरण:–चिकित्सालय परिसर के प्रथम चरण मे निर्मित भवन मे ओ.पी.डी. स्थानांतरित कर इससे लगे हुए पुराने ओ.पी.डी. भवन जो खपरैल की छत वाला है को तोड़ने के उपरांत उपलब्ध होने वाली भूमि पर विभाग द्वारा हॉस्पीटल प्लानर से कॉन्सेप्ट प्लान तैयार कराकर पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग से डी.पी.आर. प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार भवन का उन्नयन निरन्तर प्रक्रियाधीन है।

उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सलाहकार, सिविल
एन.एच.एम., म.प्र.